प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–11.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **04 वाहनों से मु0– 2000 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 23 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

गैरइरादतन हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गैरइरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्त– राम शब्द विश्वकर्मा पुत्र कन्धई लाल विश्वकर्मा नि0 लिदेहना ग्रण्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–175/19 धारा 304 भा0द0वि0 व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 05.05.2019 को उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी श्रीमती दुर्गावती पत्नी तुलसीराम कोरी निवासी देवीनगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के पति को जाति सूचक शब्द देते हुए मारपीट कर घायल कर दिया था जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना वजीरगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें वजीरगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को टिकरी चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जुआ खेलते 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. श्यामू गुप्ता पुत्र पराग गुप्ता नि0 सतई पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. गुड्डू पुत्र स्व0 शंकर सिंह नि0 सतई पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. बाबू पुत्र मो0 क्यूम नि0 सतई पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. शिव कुमार पुत्र बद्री प्रसाद नि0 रानीजोत निकट सतई पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 353/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामगदी–

01. 52 तास के पत्ते।
02. 560 रूपया नगद।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.05.2019 को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति धनौली बाजार में जुआ खेल रहे है। उक्त मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर उ0नि0 भुवनेश्वर यादव मय हमराह फोर्स के साथ वहॉ पहुँचकर उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 560 रूपये बरामद कर थाना को0 नगर पर 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया हैं।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार –

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त– अनिरूद्ध मिश्रा पुत्र देव प्रभाकर मिश्रा नि0 उपाध्याय पुरवा मौजा शेखापुर थाना को0 नगर गोण्डा को थाना को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 327/19 धारा 498, 304बी भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

उक्त मुकदमा वादिनी श्रीमती नन्दिनी पत्नी पंकज तिवारी निवासी बडका गॉव करूआपारा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के द्वारा दिनांक 30.04.2019 को अपनी पुत्री को उनके पति व परिवार वालो द्वारा दहेज की बात को लेकर जान से मार कर लटा देने के सम्बन्ध में थाना को0 नगर में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 नगर पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

600 ग्राम अवैध चरस बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. कमल हसन पुत्र नूर मोहम्मद नि0 दुदरहवा मौजा तॉबापार थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 600 ग्रा0 नाजायज गांजा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–179/19 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.05.2019 को उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि ज्ञानीपुर रामप्रताप नहर पुलिस के पास उक्त अभियुक्त को संदिग्ध दिखने पर रोक–टोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 600 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्तों–01. लाल बहादुर पुत्र महादेव नि0 दुलहापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, 02. अन्नू पुत्र शिव प्रसाद नि0 दुबिहा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगणों को गौरा सिंहनापुर बाजार में चोरी करते समय गॉव वालों द्वारा पकड़कर थाना को0 करनैलगंज को सुपुर्द किया गया था। अभियुक्तगणों के कब्जे से 1500 रू0 भी बरामद हुआ था। करनैलगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध **मु0अ0सं0–189/19 धारा 379.411 भादवि** के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 19 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।